जनपद - संतकबीरनगर　　　　　　प्रेस विज्ञप्ति　　　　　　दिनाँक 27.05.2024

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1495 द्वारा मार्ग दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1495 को थाना मेंहदावल क्षेत्रांतर्गत मईल से इवेन्ट संख्या 37231 से कालर द्वारा मार्ग दुर्घटना में 01 व्यक्ति (**01- पुष्पानन्द मंगल निषाद पुत्र संतू निषाद निवासी कौवाठोर थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर)** के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को निजी वाहन की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना मेंहदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-*मु0 आ0 संतोष कुमार पटेल, आ0 ओंकार तिवारी, हो0चा0 रोहिताश पाण्डेय**

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना बखिरा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 50 वाहनों से 72,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 27.05.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 50 वाहनों से 72,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद – संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 27.05.2024

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग को बहला फुसलाकर कर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघेवन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री रामकृष्ण मिश्र के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा **थाना मेंहदावल पर पंजीकृत** मु0अ0सं0 127/2024 धारा 363/366 भा0द0वि0 व 16/17 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता विशाल पुत्र बेलाश उर्फ रामविलास निवासी राजेडिहा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को टड़वरिया चौराहा से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर कर भगा ले गया था, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को अविलम्ब गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री दशरथ, हे0का0 बदरे आलम।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 27.05.2024

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसहयोग से 01 स्थान पर लगवाये गये 02 सीसीटीवी कैमरे

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर द्वारा चलाये जा रहे *आपरेशन त्रिनेत्र *हर घर कैमरा अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के निर्देशन में आज दिनांक 27.05.2024 को संतकबीरनगर पुलिस द्वारा जनसहयोग से 01 स्थान पर 02 सीसीटीवी कैमरें लगवाये गये। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 01 स्थान पर 02 कैमरे लगवाकर सराहनीय कार्य करने वाले व्यक्तियों को माल्यार्पण कर सम्मानित किया गया। संतकबीरनगर पुलिस द्वारा आपरेशन त्रिनेत्र अभियान के तहत जनसामान्य से अपील किया जा रहा है कि वे अपने अपने घरों, कालोनियों व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर सीसीटीवी कैमरें जरुर लगवाएं और कम से कम एक कैमरे से सड़क पर भी निगरानी रखें, जिससे कि अपराधिक व असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके, आपका यह छोटा सा प्रयास कानून व्यवस्था बेहतर करने में बहुत कारगर होगा।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 27.05.2024

अपराधियों एवं माफियाओं पर कड़ी कार्यवाही के क्रम में पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर के निर्देशन में हिश्ट्रीशीटर अभियुक्त व उसकी पत्नी के द्वारा अवैध रुप से अर्जित 02 करोड़ 68 लाख 73 हजार 02 सौ 10 रुपये की चल अचल सम्पत्ति को डुग्गी पिटवा कर किया गया कुर्क

प्रदेश में माफियाओं व नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले अभियुक्तों पर कड़ी कार्यवाही हेतु जीरो टॉलरेंस की नीति के क्रम पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर *श्री सत्यजीत गुप्ता* के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सन्तकबीरनगर *श्री शशिशेखर सिंह* के पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा गिरोह बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलापों में संलिप्त रहकर अवैध रुप से संम्पति का अर्जन करने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्र के भिटवा टोला निवासी अभियुक्त 1. राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र स्व0 विश्वनाथ मिश्रा निवासी रक्शा थाना मेंहदावल, हा0मु0 मोहल्ला भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर व 2. रीता मिश्रा पत्नी राकेश मिश्रा निवासी भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर तथा अभियुक्त उपरोक्त के रिश्तेदार शिवकेश शुक्ला पुत्र विनायक शुक्ला निवासी पुरनहा पोस्ट ठकुईराई तहसील चौरी चौरा जनपद गोरखपुर व शिवम त्रिपाठी पुत्र प्रेमनाथ त्रिपाठी निवासी पोहिला पोस्ट महुआपार तहसील गोला जनपद गोरखपुर के नाम से अर्जित 2,68,73,210/-रु0 कुल अवैध चल अचल सम्पत्ति की माइक से घोषणा करते हुए डुग्गी व ढोल पिटवाकर साइन बोर्ड लगाकर कुर्क किया गया। अभियुक्तों 1. राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र स्व0 विश्वनाथ मिश्रा के ऊपर हत्या के प्रयास, आयुध अधिनियम, एनडीपीएस सहित कुल 07 अभियोग पंजीकृत है तथा 2. रीता मिश्रा पत्नी राकेश मिश्रा के ऊपर एनडीपीएस एक्ट सहित कुल 03 अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्तों पर समाजविरोधी क्रियाकलाप करने तथा समाज में भय व्याप्त कर अवैध रुप से संमत्ति अर्जित करने के संबंध में थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मु0अ0सं0 269/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम-1986 पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में अभियुक्तों के आपराधिक कृत्यों द्वारा अवैध रुप से अर्जित की गई सम्पत्ति की पहचान कर कुर्की हेतु मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी गई थी। मा0 न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सन्तकबीरनगर द्वारा दिनांक 21.05.2024 को राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र स्व0 विश्वनाथ मिश्रा तथा रीता मिश्रा पत्नी राकेश मिश्रा कि अवैध संपत्ति कि कुर्की के संबंध में आदेश निर्गत किए गए है। अभियुक्त उपरोक्त व उनकी पत्नी द्वारा अवैध रुप अपराधिक गतिविधियों का संचालन करते हुए अपने तथा अपने रिश्तेदारों के नाम से अर्जित की गई लगभग 2,68,73,210/- रुपये की सम्पत्ति को आज दिनांक 27.05.2024 को जब्त किया गया। जब्ती की कार्यवाही के दौरान उपजिला मजिस्ट्रेट खलीलाबाद श्री शैलेश दूबे, क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री ब्रजेश सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री रामकृपाल सिंह, प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा श्री पंकज कुमार पाण्डेय सहित अन्य राजस्व अधिकारी / कर्मचारीगण मौजूद रहे।

***अभियुक्तों का विवरण* -**

1. राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा पुत्र स्व0 विश्वनाथ मिश्रा निवासी रक्शा थाना मेंहदावल, हा0मु0 मोहल्ला भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।
2. रीता मिश्रा पत्नी राकेश मिश्रा निवासी भिटवा टोला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

अभियुक्त राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा की जब्त की जाने वाली अचल सम्पत्ति का विवरण-

1- टोला भिटवा स्थित मकान, 01 अदद टाटा एस गोल्ड मालवाहक(रजि0नं0 यू0पी0 58 टी00 8735), 01 अदद बजाज पल्सर, महिन्द्रा एक्सयूवी 300(यू0पी0 58 एक्स0 9489)- कुल कीमत 55,05,210 रु0 है।

अभियुक्ता रीता मिश्रा की जब्त की जाने वाली अचल सम्पत्ति का विवरण-

1-खलीलाबाद स्थित गाटा संख्या 1134, 158,160,161,2038 मि0,974मि0, 974, 320/6मि0, 1134 में क्रमशः 37.95 वर्ग मीटर, .3335हे0,.253हे0,.038हे0, 189.75 वर्ग मी0,135.68 वर्ग मीटर, 135.68 वर्ग मी0, .152 हे0, 113.75 वर्ग मी0 जिसकी कुल कीमत 1,70,24,000 रु0 है।

अभियुक्त उपरोक्त के रिश्तेदार शिवकेश शुक्ला पुत्र विनायक शुक्ला उपरोक्त के नाम अर्जित की गयी चल अचल सम्पत्ति-

1- बगहिया, खलीलाबाद स्थित गाटा सं0 974 में 135.68 वर्ग मी0 जिसकी कुल कीमत 21,72,000 है।

अभियुक्त उपरोक्त के रिश्तेदार शिवम त्रिपाठी पुत्र प्रेमनाथ त्रिपाठी उपरोक्त के नाम अर्जित की गयी चल अचल सम्पत्ति-

1-बगहिया खलीलाबाद स्थित गाटा सं0 974 मि0 में135.68 वर्ग मी0 जिसकी कुल कीमत 21,72,000 है।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त राकेश मिश्रा उर्फ पिंकू मिश्रा उर्फ बाबा उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 2477/2016 धारा 307/504 भा0द0वि0 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 148/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।
3. मु0अ0सं0 10/2018 धारा 406/504/506 भा0द0वि0 व 3(1) द,ध एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।
4. मु0अ0सं0 11/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

5- मु0अ0सं0 599/20 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

6- मु0अ0सं0 1134/23 धारा 8/18/20/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

7- मु0अ0सं0 269/24 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0 1986 थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त रीता मिश्रा उपरोक्त-

1- मु0अ0सं0 1134/23 धारा 8/18/20/21 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

2- मु0अ0सं0 10/2018 धारा 406/504/506 भा0द0वि0, 3(1) द,ध एससी/एसटी एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

3- मु0अ0सं0 1774/16 धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद सन्तकबीरनगर।

जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 27.05.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गोवध निवारण अधिनियम के 01 अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि व 8000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन कनविक्शन**"* व ***श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन गोरखपुर*** द्वारा चलाये जा रहे *"**ऑपरेशन शिकंजा**"* अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज 27.05.2024 को ***न्यायालय – सी0जे0एम0 जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा *थाना खलीलाबाद* पर पंजीकृत मु0अ0सं0 1477/2014 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के मामलें में अभियुक्त नाम पता गब्बूलाल पुत्र मक्खू निवासी टड़वा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम के तहत जेल में बिताई गयी अवधि व आज 8000 रुपये के अर्थदण्ड का दण्डादेश पारित किया गया है। अर्थदण्ड अदा ना करने पर अभियुक्त को 15 दिवस की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।